



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1454-कार्य/चौदह-पाकालि/2018-138-के/2011

दिनांक: 02 जुलाई, 2018

प्रबन्ध निदेशक

पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,

विद्युत वितरण निगम लि०,

वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,

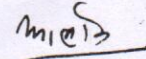
एवं केस्को, कानपुर।

विषय : सुपरविजन चार्ज के सम्बन्ध में।

यह प्रेक्षित किया गया है कि कतिपय वितरण खण्डों द्वारा निजी नलकूप संयोजनों को अवमुक्त करने हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन में सुपरविजन चार्ज समाहित किया जा रहा है जबकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड (4th अमेन्डमेंट), 2005 [Electricity Supply Code (Fourth Amendment), 2005] के क्लाज 4.6 (clause 4.6) के सब क्लाज (e) (i) में यह प्राविधान है :-

"(e) (i) LT Loads upto 50 kW shall be developed by the licensee only, for which no supervision charges shall be applicable."

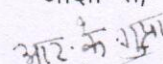
अतः निर्देशित है कि अधीनस्थ कार्यालयों को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया जाए।


(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

सं०-1454-कार्य/चौदह/पाकालि/2018 - तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव (I,II,III), उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), प्रबन्ध निदेशक पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, एवं केस्को, कानपुर।

आज्ञा से,

(आर०के० गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)